माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी

निगरानी-4033/2018/मन्दसौर/भू०रा०

1. किशनलाल पिता हीराजी
2. जगदीश पिता किशनलाल, निवासीगण पिपल्या जोधा तहसील मल्हारगढ़ जिला मदंसौर म.प्र. –– आवेदकगण

विरूद्ध

1. प्रभुलाल पिता बद्रीलाल
2. बगदीराम पिता कारूलाल दोनों निवासी पिपल्या जोधा तहसील मल्हारगढ़ जिला मदंसौर म.प्र.

–– अनावेदकगण

श्री [illegible] अधि. द्वारा आज दि. 02.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9.7.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा संजीत जिला मंदसौर के प्र.क्र. 01/अ–13/16–17 में पारित आदेश दिनांक 11–05–2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर धारा 5 के आवेदन में लिखे गये कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी व एकपक्षीय करते हुए एकतरफा रूप से स्थल निरीक्षण किया गया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी आवेदकगण को प्रथम बार पटवारी मौजा द्वारा बताये जाने पर हुई।

3. यह कि, आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय का समंस उन्हे तामिल नहीं हुआ और ना ही मौका देखने की सूचना उन्हें दी गई इस प्रकार आवेदकगण के पीठ पीछे सम्पूर्ण कार्यवाही की गई जो निरस्त किए जाने योग्य है।

...2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4033/2018/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	